# प्लेज पार्क निर्माण पर विकास शुल्क में 75% छूट

**सुविधा**

■ शैलेंद्र श्रीवास्तव

- उच्च स्तर पर इसको लेकर बनी सहमति
- कैबिनेट से जल्द मंजूरी दिलाने की तैयारी

## क्या है प्लेज पार्क

प्लेज पार्क स्कीम का पूरा नाम प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फॉर डवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन है। इस योजना का मकसद निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करके निजी औद्योगिक पार्क तैयार करवाना है। इसमें निवेशक 10 से 50 एकड़ तक की जमीन पर अपना औद्योगिक पार्क बना सकते हैं।

**लखनऊ।** राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने और यहीं पर युवाओं को रोजगार देने के लिए निजी क्षेत्रों में बनने वाले प्लेज पार्क के निर्माण पर विकास शुल्क में 75 फीसदी की छूट देने जा रही है। उच्च स्तर पर इसको लेकर सहमति बन गई है और जल्द ही कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराने की तैयारी है।

शहरी क्षेत्रों में कोई भी निर्माण कराने पर विकास प्राधिकरणों को विकास शुल्क देना होता है। आवास विभाग ने इसके लिए शहरवार विकास शुल्क तय कर रखे हैं। राज्य सरकार प्रदेश में 10 से 50 एकड़ भूमि पर निजी क्षेत्रों द्वारा प्लेज पार्क बनाने को बढ़ावा दे रही है। पिछले दिनों उच्च स्तर पर इसको लेकर बैठक हुई थी। इसमें कहा गया कि प्लेज पार्कों के अंदर सभी सुविधाएं निजी निवेशकों द्वारा कराया जाता है।

विकास प्राधिकरण, जिला पंचायत और स्थानीय निकायों द्वारा इसमें कोई भी काम नहीं कराया जाता है। इसलिए उन पर विकास शुल्क लगाने का कोई औचित्य नहीं है। एमएसएमई विभाग द्वारा बताया गया कि प्लेज पार्क बनाने के अधिकतर प्रस्ताव विकास प्राधिकरणों के अधिसूचित क्षेत्रों में आ रहे हैं। विकास प्राधिकरणों द्वारा ले आउट स्वीकृत करने को लिया जाने वाला विकास शुल्क अधिक होने से परियोजनाओं के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इससे निवेशकों को कम दरों पर औद्योगिक भूखंड देने की मंशा पूरी नहीं हो पा रही है। इसीलिए विकास शुल्क में छूट देना उचित होगा।

### प्राधिकरण सीमा के बाहर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा

बैठक में आवास विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि वेयरहाउसिंग नीति और फूड प्रोसेसिंग नीति व कुछ अन्य नीतियों में निवेशकों को 75 प्रतिशत तक छूट देने की व्यवस्था है और 25 प्रतिशत शुल्क लिया जा रहा है। इसलिए प्लेज पार्कों से भी 25 फीसदी विकास शुल्क लिया जाना उचित होगा। विकास प्राधिकरण की सीमा से बाहर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके आधार पर जल्द ही कैबिनेट से प्रस्ताव पास करारने की तैयारी है।